



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-228999
CG-DL-E-14082021-228999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3062]
No. 3062]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

का.आ. 3310(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2602(E)/28.06.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के क्योँझर जिले में NH215 के कि.मी. 163 से कि.मी. 206.2 (रिमुली-कोइदा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08.07.2021" को "समाज" और 09.07.2021 को "सम्बाद" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के क्यौंझर जिले में NH215 के कि.मी. 163 से कि.मी.206.2 (रिसुली-कोइदा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: क्यौंझर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बरबिल				
	गांव का नाम: भागलपुर				
1	827	निजी	सरद-III	0.0080939	टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड (८२७)
2	828	सरकारी	सरद-III	0.0121004	आबाद जोग्य अनाबदी (८२८)
3	830	निजी	सरद-III	0.0040065	टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड (८३०)
4	847	सरकारी	पथरबानी	0.040429	आबाद आजोग्या अनाबादी (८४७)
5	849	सरकारी	पथरबानी	0.113274	आबाद आजोग्या अनाबादी (८४९)
6	852	सरकारी	पथरबानी	0.1290975	आबाद आजोग्या अनाबादी (८५२)
	गांव का नाम: लहन्दा				
7	708	सरकारी	पथरबानी	0.0323756	आबाद आजोग्या अनाबादी (७०८)
8	755	सरकारी	तैला-I	0.0161878	आबाद जोग्य अनाबदी (७५५)

9	756	सरकारी	सरद-III	0.0161878	आबाद जोग्य अनाबदी (७५६)
			कुल	0.3717525	

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/71/2005/LA-226/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2021

S.O. 3310(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2602/dated.28.06.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH215 on the stretch of land from Km. 163 to Km. 206.2 (Rimuli-Koida) in the district of KEONJHAR in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Samaj*” and “*Sambad*” on dated 08.07.2021 and 09.07.2021 respectively; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH215 in the stretch of land from Km 163 to Km 206.2 (Rimuli-Koida) in the district of KEONJHAR in the state of ODISHA

State: ODISHA		District: KEONJHAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Barbil				
	Village: Bhagalapur				
1	827	Private	sarad-III	0.0080939	Tata Sponge Iron Limited 827
2	828	Government	Sarad-III	0.0121004	Abad Jogya Anabadi 828
3	830	Private	Sarad-III	0.0040065	Tata Sponge Iron Limited 830
4	847	Government	Patharbani	0.040429	Abad Ajogya Anabadi

					847
5	849	Government	Patharbani	0.113274	Abad Ajogya Anabadi 849
6	852	Government	Patharbani	0.1290975	Abad Ajogya Anabadi
	Village: Lahanda				
7	708	Government	Patharbani	0.0323756	Abad Ajogya Anabadi
8	755	Government	Taila-I	0.0161878	Abad Jogya Anabadi 755
9	756	Government	Sarad-III	0.0161878	Abad Jogya Anabadi 756
			TOTAL	0.3717525	

[F. No. NHAI/BOT/11012/71/2005/LA-226/3D]

RAJESH GUPTA, Director